संख्या-404/2018/4114/22-2-2017-17(117)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, फैजाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजयभान यादव पुत्र श्री सुखराज यादव, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45902/प्रो0-5-दयायाचिका/693 दिनांक 29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विजयभान यादव पुत्र श्री सुखराज यादव, निवासी ग्राम-न्योतारा, थाना-जैतपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा शराब के ठेके का धन जमा करने की रंजिश को लेकर दिनांक 25-12-1979 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल, बम एवं चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 03 व्यक्तियों को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-126/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, फैजाबाद के आदेश दिनांक 22.01.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-55/198 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2003 द्वारा उक्त अपील को निरस्त करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में (क्रिमिनल) अपील सं0-913/2004 योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2004 द्वारा उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है तथा 01 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु बन्दी द्वारा दिनांक 12.10.2016 तक 12 वर्ष 03 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 09 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी विजयभान यादव (बन्दी संख्या-955/04) पुत्र श्री सुखराज यादव, निवासी जनपद-अम्बेडकर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-404/2018/4114(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in